

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 29.4.2015

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :- ई-मित्र एवं आर.के.सी.एल. केन्द्रों द्वारा किए जा रहे भामाशाह नामांकन के दस्तावेजों के संधारण के संबंध में।

महोदय,

ई-मित्र एवं आर.के.सी.एल के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा किये जा रहे भामाशाह नामांकन संबंधी समस्त दस्तावेज (मय नामांकन प्रपत्र एवं पावती रसीद) को नामांकन पश्चात ब्लॉक स्तर प्रभारी, गुणवत्ता जांच प्रकोष्ठ को सुपुर्द करेंगे। गुणवत्ता जांच एवं एडीटिंग संबंधी कार्यवाही कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 22.10.2014 के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

दिनांक: 29.4.2015

1. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.....
2. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला.....
3. समस्त उपखण्ड अधिकारी.....
4. समस्त विकास अधिकारी/तहसीलदार

(ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव